

31-5-22 प्रतापली प्रेष हुई। वकील पक्ष कारण अनुपासित
वकील प्रार्थना व वकील अपार्थना व वकील
पक्षकारण को न्यायालय समक्ष तब वार-वार
आवाज लगाई गई लेकिन कोई उपायित नहीं हुई।

आतः प्रार्थना पक्ष प्रार्थना पक्ष इतर पक्ष-
श्री ग. म. से. अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03
के तहत अधिसूचना जारी करके प्रार्थना पक्ष
को प्रतापली पक्ष तब वार-वार होकर सम्बन्ध
से काम होकर दायित्व दफ्तार हो। निर्णय लुके
न्यायालय में सुनाया गया।

उपरोक्त अधिकारी
साँभर लेक

